

पंतनगर की करेला, लौकी एवं सब्जी-मटर की प्रजातियाँ अधिसूचित

पंतनगर। 7 मई, 2010। पंतनगर के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित करेला, लौकी और सब्जी-मटर की तीन नई प्रजातियों की अधिसूचना केन्द्र सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा जारी कर दी गयी है। अब इन प्रजातियों के बीज किसानों को उपलब्ध कराने के लिए बड़े पैमाने पर बीज उत्पादन प्रारम्भ कर दिया जायेगा। इन प्रजातियों में सब्जी मटर की प्रजाति के विकास में डा. यशवीर सिंह, विभागाध्यक्ष सब्जी विज्ञान विभाग तथा करेला व लौकी की प्रजाति के विकास में सब्जी विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक, डा. डी.के. सिंह का प्रमुख योगदान रहा है। कुलपति डा. बी.एस. बिष्ट व निदेशक शोध, डा. एस.के. सैनी ने वैज्ञानिकों को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है।

डा. सिंह ने जानकारी देते हुये बताया कि केन्द्रीय कृषि मंत्रालय की 'औद्यानिकी फसलों हेतु फसल मानक, अधिसूचना और प्रजाति विमोचन हेतु केन्द्रीय उपसमिति' की 4 मई, 2010 को आयोजित 17वीं बैठक में इन तीन सब्जी प्रजातियों की अधिसूचना जारी की गयी। उन्होंने बताया कि विष्वविद्यालय की 'कद्दूवर्गीय सब्जियों की विकास परियोजना' तथा 'सब्जी-मटर विकास परियोजना' के अंतर्गत विकसित पंत करेला-3, पंत लौकी-4 एवं पंत सब्जी-मटर-5 प्रजातियाँ 'उत्तराखण्ड राज्य किस्म विमोचन समिति' द्वारा वर्ष 2008 में ही जारी की जा चुकी हैं।

डा. यशवीर सिंह ने बताया कि छोटे पौधे वाली पंत मटर-5 प्रजाति की फलियाँ लम्बी और दानों से पूरी तरह भरी होती हैं। यह प्रजाति चूर्णिल आसिता रोग के प्रति प्रतिरोधी है। फलियों की पहली तुड़ाई 50-60 दिन पर की जा सकती है तथा बुवाई के 100-110 दिन बाद बीज परिपक्व हो जाते हैं। कुमाऊँ के पर्वतीय क्षेत्रों तथा उत्तराखण्ड राज्य के मैदानी क्षेत्रों में खेती के लिए उपयुक्त यह प्रजाति एक हैक्टेयर में 90-100 कुन्तल तक उपज देती है।

डा. डी.के. सिंह ने बताया कि पंत करेला-3 प्रजाति उत्तर भारत के मैदानी एवं पर्वतीय क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। 24 से.मी. तक लम्बे गहरे हरे रंग के फल देने वाली इस प्रजाति की उपज क्षमता 150-160 कुन्तल/हैक्टेयर है। पंत लौकी-4 के फल हल्के हरे रंग के तथा 40 से.मी. तक लम्बे होते हैं जिस पर हल्की धारियाँ होती है। एक हैक्टेयर में 350 कुन्तल तक की उपज देने वाली यह प्रजाति भी उत्तर भारत के मैदानी एवं पर्वतीय क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है।



ईमेल चित्र सं.-1. सब्जियों की अधिसूचित प्रजातियाँ पंत करेला-3, पंत लौकी-4 तथा पंत मटर-5